www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 13 मार्च 2019

दैनिक जागरण
दृष्टि बदलेगी तो दृश्य बदलते देर नहीं लगेगी

गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम

क्या कांग्रेस ने अब यह ठाना है कि वह आतंकी सरगना मसूद अजहर के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधेगी और इसी कारण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बार-बार यह पूछ रहे हैं कि इस आतंकी को किसने छोड़ा था? निःसंदेह यह कांग्रेस को तय करना है कि ऐसे सवालों को चुनावी मसला बनाना है या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस तरह के सवाल उछालने से दुनिया को सही संदेश नहीं जाएगा-उस समय तो और भी नहीं जब भारत इस कोशिश में है कि पाकिस्तान में संरक्षित इस आतंकी सरगना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदी लगे। यह ठीक नहीं कि जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश को एकजुट दिखना चाहिए तब कांग्रेस अलग दिखना चाह रही है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि मसूद अजहर को वाजपेयी सरकार के समय छोड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस समेत सभी दलों को यह भी पता है कि उसे किन विषम परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा था। उस समय सभी दलों ने एक स्वर से यही कहा था कि सरकार जो भी फैसला लेगी वे उसका समर्थन करेंगे। क्या इस गंभीर मसले पर हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने यह मांग की थी कि विमान यात्रियों के एवज में आतंकियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए?

आज जिन्हें मसूद अजहर को छोड़ने के फैसले पर सवाल खड़ा करने में आसानी हो रही है वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि उसकी रिहाई का फैसला इसलिए लेना पड़ा था, क्योंकि करीब एक सौ साठ विमान यात्रियों की जान खतरे में थी। क्या कांग्रेस यह कहने की स्थिति में है कि वह सत्ता में होती तो आतंकियों को रिहा करने के बजाय अपहृत भारतीय विमान के यात्रियों की कुर्बानी देना पसंद करती? माना कि चुनाव के अवसर पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का भी काम होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऐसे भी काम किए जाएं जिससे आतंकवाद से मिलकर लड़ने के बजाय राजनीतिक दल एक-दूसरे की घेरेबंदी करते दिखें। यह समझ आता है कि कांग्रेस मसूद अजहर के बहाने मोदी सरकार पर तंज कसना चाह रही है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर लांछन लगाए और वह भी झूठे तथ्यों के सहारे। आखिर यह झूठ प्रचारित करने का क्या अर्थ कि अजीत डोभाल आतंकियों को लेकर कांधार गए थे? एक तो वह उस विमान में नहीं थे जिसमें आतंकियों को ले जाया गया था और दूसरे, वह खुफिया ब्यूरो के अधिकारी के नाते वही कर रहे थे जिसके लिए उन्हें सरकार ने निर्देशित किया था। क्या कांग्रेस अध्यक्ष यह कहना चाह रहे हैं कि तत्कालीन खुफिया ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक के रूप में अजीत डोभाल को सरकार के निर्देश नहीं मानने चाहिए थे? इसे जुबान फिसलना कहा जा सकता है कि मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर के नाम में जी भी जोड़ दिया, लेकिन उसकी रिहाई के मसले को चुनावी मसला बनाना खराब राजनीति ही है। बेहतर हो कांग्रेस यह समझे कि इस मुद्दे पर कितनी भी बहस की जाए उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि मसूद अजहर को छोड़ने का फैसला सही था या नहीं?

ममता का दांव

तृणमूल प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों पर ही जीत चाहिए। इसीलिए वह पूरी ताकत लगा रही हैं। मंगलवार को उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी की जिसमें कई नए चेहरे हैं। आठ वर्तमान सांसदों का टिकट काट दिया। हालांकि ममता ने सफाई दी कि जादवपुर से सांसद सुगतो बोस को हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अनुमति नहीं मिली है। इसीलिए उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उसी तरह उमा सोरेन, सुब्रत बक्शी, संध्या राय समेत सात सांसदों को टिकट नहीं देने को लेकर ममता ने कारण बताए। ममता ने 42 प्रत्याशियों में 17 महिलाओं को मैदान में उतारा है। ममता ने कहा कि इस बार पार्टी ने 41 फीसद टिकट महिला उम्मीदवारों को दिया है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। इस बार ममता ने 41 फीसद महिलाएं एवं 15 नए चेहरे एवं 17 फीसद मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर नया दांव खेला है। क्योंकि इस बार मुकाबला कड़ा है। यही नहीं ममता ने पूर्व अभिनेत्री और बांकुड़ा से सांसद मुनमुन सेन को इस बार आसनसोल से मैदान में उतारा है। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बैरकपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। रायगंज से विधायक कन्हैयालाल अग्रवाल उम्मीदवार होंगे। मालदा उत्तर से कांग्रेस की सांसद मौसम नूर पालाबदल कर तृणमूल में शामिल हो गई हैं। सरस्वती पूजा के दिन नदिया के कृष्णगंज के विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी 25 वर्ष की रूपाली विश्वास को ममता ने राणाघाट से मैदान उतारने का फैसला लिया है। वहीं बांग्ला फिल्मों की स्टार नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को भी टिकट दिया है। इस बार ममता ने सात विधायकों एवं एक राज्यसभा सदस्य पर दांव लगाया है। यही नहीं ममता झारखंड, बिहार, अंडमान और असम की कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ ही ओडिशा विधानसभा के लिए 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ममता ने कहा कि बंगाल की 42 सीटों के अलावा झारखंड में 3, असम में 6, बिहार में 2 लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तृणमूल ओडिशा विधानसभा के लिए भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

जनप्रतिनिधियों की गरिमा बचाए संविधान पीठ

सुरेंद्र किशोर

यदि मौजूदा संविधान पीठ 1998 के फैसले को गलत ठहराती है तो यह अगली लोकसभा के लिए एक बड़ा शुभ संदेश होगा जिसके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है

यदि कोई सांसद रिश्वत लेकर किसी अल्पमत सरकार को सदन में गिर जाने ने बचा लेता है तो क्या वह अपने विधायी कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहा होता है? क्या उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत किसी तरह की सजा से छूट है? यदि किसी विधायक पर घूस लेकर राज्यसभा के किसी उम्मीदवार को वोट देने का आरोप साबित हो जाए तो वह भी क्या संविधान के अनुच्छेद 194 की आड़ लेकर सजा से बच सकता है? पहले मामले में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने झामुमो सांसदों को राहत दे दी थी, पर दूसरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यह दूसरा मामला भी झारखंड की एक विधायक पर लगे ऐसे ही आरोप से संबंधित है। संविधान निर्माताओं ने इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि हमारे यहां एक दिन यह सब भी होने लगेगा और इसीलिए उन लोगों ने अनुच्छेद 105 और 194 को विस्तार से नहीं लिखा। अब विस्तार की जरूरत आ पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ मार्च को इस मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाया। वह इस पर विचार करेगा कि संसद में रिश्वत लेकर कोई काम करना अपराध है या नहीं? यह मामला संविधान पीठ को सौंप दिया गया है। संविधान पीठ के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन का मामला है। उन पर रिश्वत लेकर राज्यसभा के उम्मीदवार को वोट देने का आरोप है। मौजूदा संविधान पीठ 1998 के निर्णय को बदल भी सकती है, क्योंकि उसी निर्णय के बहाने सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट गई हैं। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर अपने पिछले निर्णय बदलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में यह माना था कि आपातकाल में उसने मौलिक अधिकारों के हनन के सरकारी निर्णय पर अपनी मुहर लगाकर भूल की थी। आपातकाल में अटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यदि आज शासन किसी की जान भी ले ले तो भी उसके खिलाफ अदालत की शरण नहीं ली जा सकती, क्योंकि सारे मौलिक अधिकार-यहां तक कि जीने का अधिकार भी स्थगित कर दिया गया है।

1998 में सुप्रीम कोर्ट ने चार रिश्वतखोर सांसदों के कृत्य को संविधान के अनुच्छेद 105 के आधार पर कहा था कि इस अनुच्छेद के कारण हमारे हाथ बंधे हुए हैं। यदि मौजूदा संविधान पीठ 1998 के फैसले को गलत ठहराती है तो यह अगली लोकसभा के लिए एक बड़ा शुभ संदेश भी होगा जिसके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मिलीजुली सरकारों वाले दौर में ऐसे निर्णय बड़े काम के साबित होंगे। उनसे स्वस्थ लोकतंत्र विकसित होने में सुविधा होगी। अब जरा झारखंड सांसद रिश्वत कांड पर एक नजर डालें। पीवी नरसिंह राव की सरकार अल्पमत में थी। 26 जुलाई 1993 को माकपा के अजय मुखोपाध्याय ने उसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 28 जुलाई 1993 को 14 वोट से वह प्रस्ताव गिर गया। कुछ समय बाद एक पत्रिका में सुबूत के साथ यह खबर छपी कि सरकार ने कई सांसदों को रिश्वत देकर जीत हासिल की थी। जनहित याचिका के जरिये मामला अदालत में गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआइ जांच के आदेश दे दिए। 26 फरवरी 1996 को झामुमो सांसद शैलेंद्र महतो ने स्वीकार किया कि मुझे सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए पैसे मिले थे। अन्य तीन झामुमो सांसदों के बैंक खातों में भी पैसे पाए गए। इसके आधार पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट गया। उसने 17 अप्रैल 1998 को कहा कि सदन के भीतर के किसी काम के लिए यदि सांसद रिश्वत भी लेते हैं तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संरक्षण हासिल है। ऐसे ही संरक्षण की मांग के लिए झामुमो विधायक सीता सोरेन हाल में सुप्रीम कोर्ट गईं तो संविधान पीठ का गठन कर दिया गया।

अवधेश राजपूत

विधायकों-सांसदों को संवैधानिक संरक्षण तो इसीलिए है ताकि कोई उन्हें जनहित में काम करने से रोक न सके, लेकिन काम यदि 'स्वहित' में होने लगे तब तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यह लाजिमी हो जाता है कि वह इस प्रावधान को परिभाषित करे। 2012 के राज्यसभा चुनाव में सीता सोरेन पर एक उम्मीदवार से पैसे लेने का आरोप लगा। सीता ने मामले को रद कराने की मांग की तो रांची हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।

सांसदों और विधायकों पर रिश्वत लेने के आरोप लगते ही रहते हैं। कुछ आरोप साबित होते हैं और कुछ नहीं होते। इसी तरह के एक आरोप में संसद ने 23 दिसंबर 2005 को लोकसभा के 10 और राज्यसभा के एक सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी थी। 2006 में सपा के एक राज्यसभा सदस्य की भी सदस्यता चली गई थी। उन पर रिश्वत लेकर सांसद निधि आवंटित करने का आरोप साबित हो गया था। वह स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर धरे गए थे। यदि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए होते तो शायद 1998 की तरह का ही निर्णय हुआ होता, क्योंकि जजों का कहना था कि संविधान ने इस मामले में अदालत के हाथ बांध रखे हैं, पर मामला संसद में गया इसलिए सदस्यता नहीं बची। यह और बात है कि उन 11 में से एक बर्खास्त सांसद को बाद में भाजपा और दूसरे बर्खास्त सांसद को इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दे दिया। दरअसल उन 11 सांसदों को देश ने कैमरे पर घूस लेते देख लिया था। इस कारण पूरी राजनीति शर्मसार हो गई थी। यदि देश ने नहीं देखा होता तो शायद उनकी सदस्यता बच जाती। यदि ऐसे घूसखोर नेताओं के प्रति राजनीतिक दलों में सचमुच नफरत का भाव होता तो उन्हें बाद में टिकट नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से किसी ऐसे कानूनी इंतजाम की उम्मीद की जा रही है ताकि राजनीतिक दल चाहते हुए भी ऐसे घूसखोरों को बाद में 'सम्मानित' न कर सकें।

इन सांसदों ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए घूस ली थी। घूस देने के सारे दृश्य कैमरे में कैद कर लिए गए थे। सांसदों में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, राजद के सांसद शामिल थे। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने आरोप सही पाए। सदन में प्रस्ताव आया और रिश्वत लेने वालों की सदस्यता समाप्त कर दी गई। इन सांसदों का बचाव उनकी पार्टियां भी नहीं कर सकीं। मायावती ने जरूर कहा कि 'स्टिंग ऑपरेशन' के पीछे सपा की सजिश लगती है। सांसदों के ऐसे निष्कासन का व्यापक रूप से स्वागत हुआ था। एक पत्रकार ने लिखा था कि 1950 से ही नेता यह सोचते आए हैं कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता, पर अब यह धारणा बदली है, लेकिन उस पत्रकार की धारणा बाद में गलत साबित हुई। मनमोहन सिंह सरकार को बचाने के लिए भी धन के लेनदेन के आरोप लगे। नोटों की गड्डियां लोकसभा में लहराई गईं। स्टिंग ऑपरेशन को दबा दिया गया। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि अदालत कोई ऐसा इंतजाम करेगी ताकि भविष्य में कोई भी सांसद या विधायक संविधान की आड़ लेकर ऐसे कृत्यों को दोहरा न सकें।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

नया भारत-पुराना पाकिस्तान

बलबीर पुंज

क्या पाक बदल गया है या नए भारत की सामरिक-आर्थिक शक्ति के कारण हालात बदले दिख रहे हैं?

यह आश्चर्य ही है कि महज 60 घंटे के भीतर पाकिस्तान की कैद से भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन सुरक्षित भारत वापस लौट आए। इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। पिछले सात दशकों में जो भी भारतीय सैनिक, पाकिस्तान के कब्जे में गया उसे या तो अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ीं या फिर क्षत-विक्षत हालत में उसका शव भारत भेज दिया गया। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया, सेवामुक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, एयर कमोडोर जेएल भार्गव आदि इसके उदाहरण हैं। आज की तरह इन युद्धों के समय भी जेनेवा संधि-1949 लागू थी। इस पृष्ठभूमि में विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में क्यों छोड़ दिया? क्या वाकई पाकिस्तान बदल गया है या यह सब नए भारत की सामरिक-आर्थिक शक्ति के कारण संभव हुआ?

भारत में एक वर्ग अभिनंदन की रिहाई का श्रेय जिनेवा संधि के साथ-साथ प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की बदली हुई मानसिकता और उदारता को दे रहा है। जो ऐसा सोच रहे हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के मंत्री अली मोहम्मद खान और स्वयं इमरान खान के हालिया बयानों पर विचार किया? सीमा पर तनाव के बीच 28 फरवरी को पाकिस्तानी संसद में इमरान ने टीपू सुल्तान को अपने देश का नायक बताया। उसी दिन पाकिस्तान के संसदीय कार्यमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (इमरान की पार्टी) नेता अली मोहम्मद खान ने स्थानीय न्यूज चैनल पर कहा, ''इमरान साहब ने तो अभी टीपू सुल्तान ही याद कराया है, मैं मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी भी याद कराना चाहूंगा। गजनवी कौन था? उसने आप लोगों के साथ क्या किया था? मोदी जी वे लोग तो पांच लाख थे, अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग और भारत के लगभग 30 करोड़ लोग-इस्लाम के नाम पर खड़े हो गए तो क्या करोगे? फिर गंगा-जमुना नहीं, अरब आपका ठिकाना होगा। संभल जाओ, गजवा-ए-हिंद तो होना ही है।''

आखिर यह गजवा-ए-हिंद क्या है? इस मजहबी अभियान के अंतर्गत आठवीं शताब्दी से जिहादी काफिरों यानी हिंदुओं पर विजय प्राप्त कर भारतीय उपमहाद्वीप में निजाम-ए-मुस्तफा को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी से लेकर बाबर और अब जैश ए मुहम्मद सरगना मसूद अजहर जैसे आतंकी शामिल हैं। जिस विषाक्त चिंतन ने इन लोगों को जिहाद की प्रेरणा दी उसी के गर्भ से 72 वर्ष पहले पाकिस्तान का जन्म हुआ था। यक्ष प्रश्न है कि अपनी इस वैचारिक पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने अभिनंदन को जल्दी क्यों छोड़ दिया? इसके दो मुख्य कारण हैंः पहला, यदि भारतीय

जवान को पाकिस्तानी कैद में क्षति पहुंचाई जाती तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होती उससे खस्ताहाल पाक पहले से सचेत था। दूसरा, भारत ने कूटनीतिक स्तर पर जैसे विश्व में पाक विरोधी नाकेबंदी की उसमें चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया। यहां तक कि इस्लामी देशों के प्रभावशाली समूह इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआइसी ने सदस्य देश के रूप में पाक की आपत्ति को उपेक्षित कर दिया, जिसमें इस संस्था ने 50 वर्ष में पहली बार भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को न केवल आमंत्रित किया, अपितु उन्हें सम्मानीय अतिथि का दर्जा भी दिया।

क्या भारत-पाकिस्तान में शांति संभव है? इस प्रश्न का उत्तर इमरान खान और उनके मंत्री अली मोहम्मद खान के बयानों से स्पष्ट है। इमरान के अनुसार, टीपू सुल्तान पाकिस्तान का नायक इसलिए है, क्योंकि उसने अंग्रेजों के समक्ष सिर झुकाने के बजाय सिर कटाना पसंद किया। यदि ऐसा ही है तो पाकिस्तान क्यों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान को अपना राष्ट्रपुरुष मानता है? पाकिस्तान में दर्जनों संस्थान-भवन सैयद अहमद खान के नाम पर हैं तो अंग्रेजों से लड़ने वाले टीपू सुल्तान के नाम पर पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज पीएनएस-टीपू सुल्तान भी है। आखिर ऐसी क्या समानता है, जो टीपू और सैयद को पाकिस्तान का नायक बनाती हैं? ब्रितानियों का दोनों के प्रति मत अलग था-टीपू उनका शत्रु था तो सैयद हितैषी। क्या यह सत्य नहीं कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और उसके प्रतीक-चिन्हों के प्रति घृणा ने दोनों को पाक में महान बना दिया? मैसूर पर टीपू सुल्तान का लगभग 17 वर्षों (दिसंबर 1782-मई 1799) तक राज रहा। 22 मार्च 1788 को टीपू ने अब्दुल कादिर को लिखा था, 12 हजार हिंदुओं को इस्लाम से सम्मानित किया गया है। हिंदुओं के बीच इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए। एक भी नंबूदिरी (ब्राह्मण) को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कर्नल विल्क्स द्वारा लिखित हिस्टोरिकल स्केचेस, केपी पद्मनाभ मेनन की हिस्ट्री ऑफ कोचिन स्टेट, विलियम लोगान की मालाबार मैन्युअल के अलावा केएम पणिक्कर और इलमकुलम कुंजन पिल्लई ने अपनी पुस्तकों में टीपू के शासन में हुए हिंदुओं के भयावह उत्पीड़न, हत्या और मतांतरण का उल्लेख किया है। जिस जिहादी मानसिकता से टीपू सुल्तान ग्रस्त रहा, कालांतर में उसी रूग्ण चिंतन से युक्त सैयद अहमद खान ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम अलगाववाद और दो-राष्ट्र सिद्धांत का बीज अंकुरित किया। 16 मार्च 1888 को मेरठ में उन्होंने कहा था, क्या हिंदू और मुसलमान एक ही सिंहासन पर बराबर के अधिकार से बैठ सकेंगे? नहीं। 700 वर्षों तक जिन पर हमने शासन किया, उनके अधीन रहना हमें अस्वीकार्य है।

आज पाकिस्तानी जनप्रतिनिधि खुलेआम इस्लाम के नाम पर जैसे मुसलमानों को गजवा-ए-हिंद के लिए उकसा रहे हैं वैसे ही लगभग डेढ़ सौ साल पहले सैयद अहमद ने उपमहाद्वीप में मुस्लिमों के बड़े वर्ग को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से रोक दिया था। दुर्भाग्य है कि भारत में कुछ लोग टीपू और सैयद अहमद को अपना आदर्श मानते हैं। इस विकृति का कारण वह विदेश आयातित वामपंथी दृष्टिकोण है जिसमें सनातन सभ्यता, बहुलतावादी संस्कृति और उसके प्रतीक-चिन्हों के प्रति घृणा है। जब 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने हवाई हमला करते हुए पाकिस्तान में जैश ए मुहम्मद के ठिकाने ध्वस्त किए तब इस घटना ने भारत-पाकिस्तान रिश्तों को नए रूप में परिभाषित कर दिया। यदि सीमापार से भारत को छद्म युद्ध के माध्यम से घाव दिए जाते रहे तो भारत प्रतिक्रियास्वरूप प्रत्यक्ष युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटेगा। क्या निकट भविष्य में भारतीय उपमहाद्वीप में शांति संभव है? शायद नहीं, क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध फिलहाल टल गया है, किंतु जिन कारणों से यह स्थिति पैदा हुई वह इस भूखंड पर अब भी विद्यमान है। जब तक काफिर-कुफ्र की रूग्ण मानसिकता भारतीय उपमहाद्वीप के एक वर्ग को प्रभावित करती रहेगी तब तक अमन-चैन कठिन है।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

व्यवहार की मर्यादा

दुख इस संसार की अपरिहार्य और कुदरती घटना है। यह जीवन के अंतिम सांस तक जारी रहता है। यदि इंसान दुख में घिरा हो तो उससे निवारण के लिए गौतम बुद्ध ने जो उपाय बताए हैं उन्हें हम 'आष्टांगिक मार्ग' के नाम से जानते हैं। ये 'आष्टांगिक मार्ग' हैं-सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक अभ्यास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसका आशय यह है कि यदि मानव की दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, अभ्यास, स्मृति, और समाधि मर्यादित तथा लोकव्यवहार के अनुरूप हों तो व्यक्ति तमाम तरह की परेशानियों एवं पीड़ाओं से महफूज रहता है।

सच पूछिए तो जब हम अपने आचरण के पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कारों की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर बैठते हैं तो हम खुद ही कई मुसीबतों एवं विपदाओं को निमंत्रण दे बैठते हैं। लिहाजा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का इस प्रकार से पालन करें कि वे हमारे लिए किसी मुसीबत का सबब नहीं बनें। मर्यादित व्यवहार और आचरण में अहम भूमिका चित्त की होती है। नियंत्रित मन और मर्यादित व्यवहार में जीवन का सुकून महफूज रहता है। आशय यह है कि मानव जीवन में दुख का जन्म मन से ही होता है। मन को यदि नियंत्रित कर लिया जाए और इसे भटकने से रोक लिया जाए तो दुख का वजूद ही समाप्त हो जाता है। यदि वास्तविकताओं को भी स्वीकार कर लिया जाए तब भी हम अपने दुखों पर काबू पा सकते हैं।

पतंजलि ने कहा है, 'चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और जिस व्यक्ति ने भी अपने चित्त पर नियंत्रण नहीं रखा, वह खुद के जीवन के लिए चाहे-अनचाहे कई प्रकार की परेशानियां खुद पैदा कर लेता है।' मानव जीवन के तमाम दुख उनके खुद के ही कर्मों का नतीजा होते हैं, खुद की सोच का सबब होते हैं तथा खुद के जीवन के आदर्श एवं दर्शन का प्रतिबिंब होते हैं। लिहाजा इस बात की भरसक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कर्म तथा सोच पारिवारिक एवं सामाजिक आदर्शों एवं नैतिक मापदंडों के अनुरूप हों। इससे न केवल हम अपने मन को व्यथित होने से बचा लेते हैं, बल्कि दुख को अपने जीवन से कोसों दूर रखने में भी आश्चर्यजनक रूप से सफल हो जाते हैं।

श्रीप्रकाश शर्मा

महिलाएं भी कहना चाहें जयहिंद

मनीषा सिंह

अब उन क्षेत्रों में भी महिलाओं को मौका मिले, जिन्हें हमारे देश में महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता रहा है

सेना में महिलाओं को दस शाखाओं में परमानेंट कमीशन देने पर तो सहमति बन गई है, लेकिन उन्हें कमांड भूमिकाओं में अब भी नहीं लाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि महिलाओं को किसी यूनिट के नेतृत्व का मौका नहीं मिलेगा और वे कमांडिंग अफसर बनने के बजाय परमानेंट कमिशन मिलने के बावजूद कर्नल के पद तक ही पहुंच सकेंगी। संदेह नहीं कि इस नई भूमिका में लाए जाने पर महिलाओं को और दृढ़ता एवं मजबूती दिखानी होगी, साथ ही उन समस्याओं से भी दो-चार होना पड़ेगा जिन्हें लेकर अक्सर महिलाओं की सेना में उपस्थिति को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

हालांकि महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में तैनात करने का एक विचार 2016 में खुद थलसेना प्रमुख बिपिन रावत भी व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने संकेत दिया था कि जल्दी ही महिलाओं को फौज में शामिल होकर सरहद पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने का मौका मिल सकेगा। महिलाएं अभी सेना में हैं, पर लड़ाकू भूमिका में नहीं। हालांकि यह सच है कि हर साल सशस्त्र सुरक्षाबलों की तीनों शाखाओं में करीब 3300 महिलाओं की भर्ती होती है, लेकिन वे चिकित्सा, कानूनी, शिक्षा, सिग्नल और इंजीनियरिंग शाखाओं में काम करती हैं, सीधे दुश्मन से नहीं भिड़ती हैं। महिलाओं को लड़ाकू भूमिका नहीं देने को लेकर कुछ बाधाओं की बात कही जाती रही है। जैसे कहा जाता है कि अगर जंग हुई और लड़ाकू सैनिक महिलाएं दुश्मन के कब्जे में ले ली गईं तो युद्धकैदी के रूप में उनके बदले दुश्मन ज्यादा मोलभाव करने की हैसियत में आ जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि लड़ाकू जवान के रूप में एक सैनिक की भूमिका छावनी क्षेत्र और सैन्य प्रतिष्ठानों में पुलिसिंग की होती है। सैनिकों को नियम-कायदों को तोड़ने से रोकना, सैन्य मूवमेंट, युद्ध बंदियों को संभालना और जरूरत पड़ने पर सिविल पुलिस की मदद का काम भी सेना के जवानों को करना होता है। हालांकि इससे इतर भूमिकाएं महिलाओं को हमारे देश में दी जा चुकी हैं। जैसे वर्ष 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने तीन महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में शामिल किया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) में भी महिला अफसरों की नियुक्ति की पहलकदमी की जा चुकी है। अभी भी महिलाओं को सीआरपीएफ और सीआइएसएफ में अफसर की वर्दी पहनने का मौका मिलता है, लेकिन वहां यह लेडीज स्पेशल मोर्चे पर दुश्मन फौज का सीधा मुकाबला नहीं करती, क्योंकि इन दोनों सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा की होती है। जहां तक लड़ाकू सैनिक के रोल की बात है तो फिलहाल जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन और इजरायल में महिलाएं इस भूमिका में काम कर रही हैं।

अब मौका आ गया है, जब उन सारे सेक्टरों में महिलाओं की उपस्थिति तो दर्ज हो, जिन्हें हमारे देश में महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता रहा है। यानी महिलाएं अब सिर्फ शिक्षक बन कर न रह जाएं, बल्कि सबसे कठिन माने जाने वाले पेशे यानी फौज में भी अपनी मौजूदगी इस तरह दर्ज कराएं कि वहां वे दुश्मन के सामने मौजूद हों और शान से जयहिंद कहें।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

अब सन्मति की ही जरूरत है

गोपालकृष्ण गांधी ने अपने आलेख 'चुनाव में सबको सन्मति दे भगवान' में यह ठीक ही कहा है कि मतदाताओं को अपने अमूल्य मत का प्रयोग अपनी सन्मति से करना चाहिए, क्योंकि उनके वोट से केंद्रीय सरकार का गठन होगा। लेकिन ऐसे में यह भी विचारणीय है कि जब इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के दावेदार की ही मति ठिकाने न हो और वह आतंकी सरगना मसूद अजहर को 'अजहर जी' कहकर बुलाने लगें तो फिर किस सन्मति की बात की जाए? माना कि उनकी जुबान फिसल गई थी। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से इस राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने भारतीय सेना के मान-सम्मान और विश्वास को ताक रखते हुए सेना और सरकार से एयर स्ट्राइक में मरने वाले आतंकवादियों की संख्या आदि के संबंध में सुबूत मांगने शुरू कर दिए थे तो वह कौन सी सन्मति थी? विपक्षी नेताओं के सवाल पर वायु सेना प्रमुख को कहना पड़ा था कि सेना का काम अपना टारगेट हिट करना होता है, लाशें गिनना नहीं। लेकिन सेना की इस साफगोई के बाद भी विपक्षी नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। जिसका फायदा पाकिस्तान ने देश-दुनिया को यह समझाने में उठाया कि भारत की मोदी सरकार ने जो पाक विरोधी कार्रवाई की है उससे वहां का विपक्ष सहमत नहीं था। दुश्मन देश को अपनी बेजा बयानबाजी से मनोबल प्रदान करने वालों की मति के बारे में लेखक ने भले ही अपनी अवधारणा स्पष्ट नहीं की है, लेकिन सन्मति की बात करते समय इस देशघाती दुर्मति की ओर भी इशारा करना जरूरी था। क्या इस देश का जागरूक मतदाता अपने सन्मतिपूर्ण वोट से विपक्ष को उत्तर देना चाहेगा?

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

देशभक्ति को प्रमाण की दरकार नहीं

शिवसेना के प्रमुख का कहना है कि देशभक्ति पर किसी भी पार्टी का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने सौ फीसद सत्य बात कही है। किसी के विचारों से या कार्यों से सहमत नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वह देशद्रोही है। हमारे देश में लोकतंत्र का मतलब यही है कि यहां भिन्न-भिन्न विचारों के दल मिलकर कार्य करें, प्रजातंत्र को फलने फूलने में मदद करें। किसी पार्टी की कार्यशैली देश और जनता के अनुरूप नहीं है तो उसे सत्ता से हटाने के लिए हर 5 वर्षों के बाद एक मौका सबको मिलता है। इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि अगर वह आपके उचित-अनुचित कार्यों का समर्थन कर रहा है तो वह देशभक्त और अगर विरोध कर रहा है तो वह देशद्रोही है। देशभक्ति एक अलग और पवित्र भावना है, जो देश के प्रति वफादारी एवं उसके प्रति समर्पित भाव से झलकती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां वोट एवं सत्ता की लालच में देशभक्ति के मायने बदलने के प्रयास में लगे हैं। देश के हित में कार्य करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक देशभक्त है, उसे किसी भी दल विशेष के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।

hemahariupadhyay@gmail.com

तारीख पर राजनीति

भारत में राजनेता चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ते हैं। चुनाव आयोग जब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं कर रहा था तब तक सारे विपक्षी दल इसे सत्ता में बैठी सरकार का षड्यंत्र बता रहे थे, अब जब तारीख की घोषणा कर दी गई है तो इसमें भी उन्हें दिक्कत है। आखिर ये पार्टियां कब अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कर देशहित के बारे में सोचेंगी। हर बात पर अंगुली उठाने को यह अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ बैठे हैं? आखिर यह कब तक जारी रहेगा? अब जब तिथि घोषित हो गई तब रमजान को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है और इससे भाजपा को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। रमजान महीने में पड़ रहे पांचवें, छठे और सातवें चरण का मतदान क्रमशः 6, 12, 19 मई को है, लेकिन मतदान करने के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। लिहाजा इससे किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति रमजान के समय घर के अंदर हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठता, अगर वह नौकरीपेशा है तो वह सही समय पर ड्यूटी जाता है या फिर जो भी जिस धंधे से जुड़ा है वो उसमें लग जाता है, लेकिन राजनीति करने वाले इस बात पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रमजान में जब लोग 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं तो मतदान के लिए 1-2 घंटे नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आम जनता को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वातानुकूलित कमरों में बैठ कर राजनीति करने वालों को बहुत परेशानी है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।